

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2570]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936

No.2570]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3206(अ).—पेट्रोलियम एवं खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 2709(अ) दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए उसमें दी गई मारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रों के अतिरिक्त कालम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य के नवमारी ज़िला में आने वाले क्षेत्रों में भी तेल/गैस/जल के परिवहन के लिये पाईपलाइन बिछाने के लिये उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

[फा.सं. ओ. 12026/15/2014-ओएनजी-III]

के. एम. सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2014

**S.O. 3206(E).**—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), Central Government, in partial modification of Notification No. 2709(E) dated 27th October 2009 published by Ministry of Petroleum and Natural Gas in the Gazette of India dated 28th October, 2009, hereby extends area of jurisdiction in addition to the areas mentioned in Column (2) of the table of the Notification and authorizes the authority mentioned in Column (1) of the table of the Notification to perform the functions of the Competent Authority under the said Act for laying of pipelines for transportation of gas/oil/water by Oil and Natural Gas Corporation Limited also in areas falling in District Navsari of Gujarat State.

[F. No. O. 12026/15/2014/ONG-III]

K. M. SINGH, Under Secy.